मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई, 2014 (आषाढ़ 31, 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. सदन को सूचना

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा सदन को सूचना दी गई कि कल सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की त्रि सदस्यीय खण्डपीठ द्वारा कृषि मंत्री महोदय (डॉ. गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन) के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एवं 19) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 118 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 113 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. विशेषाधिकार भंग की सूचना एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री महोदय एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना

श्री रामनिवास रावत, सदस्य की ओर से श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के विरूद्ध दिनांक 17 जुलाई, 2014 को प्राप्त निम्नलिखित विशेषाधिकार भंग की सूचना को अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़कर सुनाया गया:-

"विषयान्तर्गत अनुरोध है कि दिनांक 11 जुलाई, 2014 को दीनदयाल परिसर, भोपाल स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में, माननीय मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिह चौहान एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की उपस्थिति में व्यापम घोटाले में माननीय मुख्य मंत्री पर लगे आरोपों का प्रतिकार करने के उद्देश्य से माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार भाजपा द्वारा "व्यापम का सच" शीर्षक नामक 76 पृष्ठीय पुस्तक के मुख-पृष्ठ एवं उसके पीछे के पृष्ठ पर व्यापम के भवन एवं मोनो के साथ ही प्रत्येक पृष्ठ पर व्यापम का मोनो मुद्रित है, जो कि कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होकर आपराधिक कृत्य है, का वितरण किया गया है, जिसमें पृष्ठ 14 से 33 तक विधान सभा सचिवालय के तत्कालीन माननीय विधान सभा अध्यक्ष के निजी अमले एवं सचिवालय में की गई नियुक्तियों से संबंधित अभिलेख छापा गया है । इस प्रकार विधान सभा सचिवालय के सब अभिलेख, दस्तावेज, पत्र, माननीय विधान सभा अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विधान भवन के बाहर राजनैतिक पार्टी भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर पहुँचे हैं, जो कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 271-क का उल्लंघन है । उक्त नियम 271-क जो कि, "मध्यप्रदेश विधान सभा (चतुर्थ विधान सभा) विशेषाधिकार समिति का पंचम प्रतिवेदन, दिनांक 20 सितम्बर, 1968 को सदन में प्रस्तुत किया गया है, के पृष्ठ क्रमांक-3 पर क्रमांक 8 लोक सभा के नियमों द्वारा इस संबंध में कुछ विहित नहीं किया गया है । नियम 383 में इसका कुछ संकेत मिलता है ।" वह नियम इस प्रकार है :-

"सभा या उसकी किसी समिति के अथवा लोक सभा सचिवालय के सब अभिलेख दस्तावेज और पत्र सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे और वे किन्हीं ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों या पत्रों को अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना संसद भवन से बाहर नहीं ले जाने देगा।" जो कि विशेषाधिकार हनन की परिधि में आता है."

उपरोक्त स्थिति में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रकाशित "व्यापम का सच" नामक पुस्तक के प्रकाशन से भाजपा विधायक दल के नेता एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेशाध्यक्ष के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रकरण बनता है।"

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि –

"माननीय सदस्य द्वारा उपरोक्त सूचना में मुख्य रूप से 3 प्रश्न उठाए गए हैं :-

(1) "व्यापम का सच" नामक पुस्तक के मुख्य पृष्ठ एवं उसके पीछे के पृष्ठ पर व्यापम के भवन एवं मोनो के साथ ही प्रत्येक पृष्ठ पर व्यापम का मोनो मुद्रित है जो कि कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होकर आपराधिक कृत्य है।

(2) पुस्तक के पृष्ठ 14 से 33 तक विधान सभा के तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष के निजी अमले एवं सचिवालय में की गई नियुक्तियों से संबंधित अभिलेख छापे गये हैं। इस प्रकार विधान सभा सचिवालय के सब अभिलेख (दस्तावेज) एवं पत्र माननीय विधान सभा अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विधान सभा भवन के बाहर राजनैतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुँचे हैं, जो कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 271-क का उल्लंघन है और विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है".

(3) भारतीय जनता पार्टी द्वारा "व्यापम का सच" नामक पुस्तक के प्रकाशन से भाजपा विधायक दल के नेता एवं श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य मंत्री एवं प्रदेशाध्यक्ष के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रकरण बनता है".

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उन्होंने प्राप्त विशेषाधिकार भंग की सूचना का परीक्षण निम्न तीन बिन्दुओं के आधार पर किया है :-

(1) क्या किसी पार्टी द्वारा पुस्तक का प्रकाशन, वितरण विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है ?

(2) विधान सभा सचिवालय के अभिलेख (दस्तावेज) एवं पत्र विधान सभा अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना राजनैतिक पार्टी के द्वारा उपयोग किया जाना क्या विशेषाधिकार हनन की परिधि में आता है ?

(3) क्या कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किस प्रकार विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है ?

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी सूचित किया गया कि – उनका यह स्पष्ट मत है कि पुस्तक का प्रकाशन, पुस्तक का वितरण विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में नहीं आता है और न ही कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किसी प्रकार से भी विशेषाधिकार भंग है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा पुस्तक में छपे विधान सभा सचिवालय के कुछ पत्रों के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि:-

तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 2416/2001-श्री लक्ष्मण तिवारी एवं अन्य द्वारा दायर की गई थी। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में सर्वप्रथम श्री जे.एल.बोस समिति, तत्पश्चात माननीय जस्टिस श्री शचीन्द्र द्विवेदी जांच समिति का गठन उन मामलों की जांच के लिए किया गया था। इसके पश्चात् निम्नलिखित याचिकाएं भी इन्हीं नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई हैं :-

- WP NO.1608 / 2000 - श्री किशोर समरीते विरूद्ध मध्य प्रदेश विधान सभा एवं अन्य,
- WP NO.1274 / 2009 - श्री विवेक लखेरा विरूद्ध मध्य प्रदेश विधान सभा एवं अन्य,
- WP NO.10236 / 2012 - श्री भीमसिंह राजपूत विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य.

उपरोक्त सभी याचिकाओं और जवाब-दावों में विधान सभा में हुई नियुक्ति संबंधी दस्तावेज लगाए गए हैं। कई दस्तावेज सूचना के अधिकार के तहत् लिए गए हैं । अत: यह कहना कि अध्यक्षीय अनुमति के बिना विधान सभा भवन के बाहर किसी राजनैतिक पार्टी को अभिलेख (दस्तावेज) और पत्र पहुँचाए गए, सही नहीं है, बल्कि यह पूर्णतया मिथ्या कथन है.

प्रथम दृष्टया यह सूचना मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 166 (1), (2) एवं (3) की पूर्ति नहीं करती है, क्योंकि इस सूचना में एक से अधिक प्रश्न उठाए गए हैं । यह हाल में घटित किसी विशिष्ट विषय से निर्बन्धित नहीं है और जहां तक कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन और आपराधिक कृत्य का प्रश्न है, इसमें सभा का हस्तक्षेप भी अपेक्षित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बिना ठोस आधार के इस प्रकार के आरोप लगाना भी उचित नहीं मानते हुए माननीय सदस्यों से अपेक्षा की गई कि विधान सभा सचिवालय के संबंध में किसी भी कथन के पहले कृपया सतर्कता अवश्य बरता करें ।

अत: अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री रामनिवास रावत, माननीय सदस्य की इस विशेषाधिकार भंग की सूचना को नियमानुकूल न मानते हुए अग्राह्य किया गया."

श्री रामनिवास रावत सहित इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण विशेषाधिकार भंग की सूचना पर बोलने की मांग करते हुए गर्भगृह में आए एवं नारेबाजी की गई.

अध्यक्ष महोदय द्वारा कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थानों पर जाने हेतु निर्देश देते हुए अनुरोध किया गया कि वरिष्ठ माननीय सदस्यों द्वारा भी, प्रतिदिन कार्यवाही में नारेबाजी करके व्यवधान उत्पन्न करना बिलकुल उचित नहीं है. विशेषाधिकार भंग की सूचना में उल्लिखित तथ्यों पर पूरी गंभीरता से विचार करके और नियम-प्रक्रिया का परीक्षण करके अग्राह्य करने संबंधी व्यवस्था दी जा चुकी है.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष द्वारा आसंदी की व्यवस्था के विरूद्ध सदन में विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं करने के प्रति दु:ख व्यक्त किया.

सदन में अत्यधिक व्यवधान, नारेबाजी, शोरगुल के मध्य कार्यसूची में उल्लिखित निम्नांकित विषयों पर कार्यवाही निरंतर जारी रही :-

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार –

(1) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की डिण्डोरी जिले में स्थित एकलव्य आदिवासी भवन का निर्माण न होने,
(2) श्री हर्ष यादव, सदस्य की सागर जिले में देवरी स्थित महाविद्यालय की बाउण्ड्री वॉल का निर्माण न होने,
(3) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके, सदस्य की मण्डला जिले के सिलगी तिराहा से बंजर नदी तक सड़क निर्माण किये जाने,
(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर के मुख्य बाजारों में वाहनों से जाम की स्थिति निर्मित होने,
(5) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की जबलपुर जिले की ग्राम पंचायत बरवटी मे हरियाली महोत्सव के नाम पर अनियमितता की जाने,
(6) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना), सदस्य की सीधी जिलेके ग्राम नौगवां धीरसिंह में गृह निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि का वास्तविक मुआवजा न दिये जाने,
(7) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य की रायसेन जिले में ओला पीड़ित कृषकों को मुआवजा न मिलने,
(8) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की खरगौन जिले के बड़वाह में इंदिरा सागर की नहर से अधिक मात्रा में पानी न छोड़े जाने,
(9) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की बालाघाट जिले में खनिज उत्खनन के कारण वन क्षेत्र कम होने तथा
(10) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्रामों में स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोई व्यवस्था न होने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में प्रस्तुत हुई मानी गईं.

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई.

सदन में अत्यधिक व्यवधान होने के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नांकित माननीय सदस्यों की ध्यानाकर्षण की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा लिखित वक्तव्य पढ़े हुए माने गये :-

(1) सर्वश्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार, रामनिवास रावत तथा वैल सिंह भूरिया, सदस्यगण की मुरैना, श्योपुर एवं धार जिलों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के कार्यों में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री का लिखित वक्तव्य,

(2) सर्वश्री गोवर्धन उपाध्याय, जयवर्द्धन सिंह तथा सुखेन्द्र सिंह (बन्ना), सदस्यगण की सतना जिले के ग्राम बठिया में सीमेंट कंपनी द्वारा उत्खनन की शर्तों का उल्लंघन किये जाने संबंधी सूचना तथा श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री का लिखित वक्तव्य,

(3) श्रीमती झूमा सोलंकी ने सदस्य की भीकनगांव क्षेत्र के वन क्षेत्रों में काबिज आदिवासियों को वन अधिकार के पट्टे न दिये जाने संबंधी सूचना तथा श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री का लिखित वक्तव्य तथा

(4) सर्वश्री कमलेश्वर पटेल एवं रामनिवास रावत, सदस्यगण की सिंगरौली, रीवा एवं सतना जिलों में अपहरण एवं चोरी की घटनाएं होने संबंधी सूचना तथा श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री का लिखित वक्तव्य.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सभापति ने लोक लेखा समिति के प्रथम से अठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किये.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1) श्री आरिफ अकील (जिला-भोपाल)
(2) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(3) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(4) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(5) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)
(6) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(7) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(8) श्रीमती चंदा सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(9) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)

8. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 22 जुलाई, 2014 को सम्पन्न हुई. जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई हैं :-

क्र.	शासकीय विधेयक	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक,2014 (क्रमांक 17 सन् 2014)	15 मि.
2.	दंड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 18 सन् 2014)	30 मि.
3.	मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014)	30 मि.
4.	मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014)	30 मि.
5.	रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 21 सन् 2014)	1 घन्टा
6.	भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 22 सन् 2014)	30 मि.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने दंड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 18 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

10. वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

20. श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 36	परिवहन के लिए एक सौ छत्तीस करोड़, चौवन लाख, दो हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 46	विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिए तीस करोड़, सैंतालीस लाख, रुपये, तथा
अनुदान संख्या – 69	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक सौ अस्सी करोड़, अठारह लाख, पचहत्तर हजार रूपये तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा, गर्भगृह से कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान के कारण प्रारम्भ नहीं हो सकी. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री का लिखित उत्तर पटल पर रखा गया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.)

श्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 2 में इस प्रकार का संशोधन किया जाय –

खण्ड 2 के उपखण्ड (1) की कंडिका (ग्यारह) में विद्यमान शब्दावली के स्थान पर निम्नलिखित शब्दावली स्थापित की जाये, अर्थात :-

"(ग्यारह) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्देशित चार शिक्षाविद्, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो, जो कम से कम स्नातक हों और किसी राजनीतिक दल के सदस्य न हों जिनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग में से प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा, इन चार व्यक्तियों में से कम से कम दो महिलाएं होंगी."

संशोधन स्वीकृत हुआ.
यथासंशोधित खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.
खण्ड 3 तथा 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(3) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 11 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

सुश्री कुसुम सिंह महदेले ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 11 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 14 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.)

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जाय –
खण्ड 2 के परन्तुक में विद्यमान शब्द 'सत्रह लाख' के स्थान पर, शब्द 'दस लाख' किया जाय.

संशोधन स्वीकृत हुआ.
यथासंशोधित खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.
खण्ड 3 तथा 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 14 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(6) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(7) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 16 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 16 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह से निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यान्ह 12.05 बजे कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाकर 12.48 बजे समवेत हुई.)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद भी विपक्ष के सदस्यों के आचरण को अशोभनीय मानते हुए, सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने के प्रति क्षोभ व्यक्त किया गया.

(8) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 17 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

सुश्री कुसुम सिंह महदेले ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 17 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

12. अध्यक्षीय घोषणा
अनुपूरक कार्यसूची के अनुसार कार्य लिये जाने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि – "मध्यप्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम के अंतर्गत आज अनुपूरक कार्यसूची की अनुज्ञा उनके द्वारा प्रदान की गई है. अत: अब जारी की गयी अनुपूरक कार्यसूची के अनुसार कार्य लिये जाएंगे.

13. अध्यक्षीय व्यवस्था
अनुपूरक कार्यसूची के वितरण विषयक

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि अनुपूरक कार्यसूची नहीं मिली है. अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि कार्यसूची बंट गई है और पिजन होल (सूचना कार्यालय) में रखवा दी गई है.

14. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने –

(क) राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष, वर्ष 2014 का प्रतिवेदन, क्र.1,
(ख) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम),31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए, वर्ष 2014 का प्रतिवेदन, क्र.2,
(ग) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष, वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या-3,
(घ) आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए, वर्ष 2014 का प्रतिवेदन क्र.-4, तथा
(ङ) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, राज्य का वित्त पटल पर रखे.

(2) श्री लाल सिंह आर्य, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2006 को दतिया जिले की सेवढ़ा तहसील अन्तर्गत रतनगढ़ माता मंदिर में सिंध नदी पार करते समय यात्रियों के बह जाने की घटित घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन, दिनांक 21 मार्च, 2007, द्वारा माननीय न्यायमूर्ति , श्री सुशील कुमार पाण्डेय, एकल सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (शासन के संकल्प सहित) पटल पर रखे.

15. अध्यक्षीय व्यवस्था
अनुपूरक कार्यसूची नियमानुसार जारी करने विषयक

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से यह जानना चाहा कि यह संशोधित दैनिक कार्यसूची जो अभी मिली है, किस नियम के तहत मिली है. अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि दिसम्बर, 2012 में तथा पूर्व में भी कई बार संशोधित कार्यसूची निकल चुकी है.

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

17. अध्यक्षीय व्यवस्था
विनियोग विधेयक पर कांग्रेस पक्ष द्वारा चर्चा में भाग न लेने विषयक

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि विनियोग विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ नहीं हुई है. अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि कांग्रेस पक्ष की ओर से चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों के नाम नहीं देने के कारण चर्चा नहीं हो सकी है.

18. विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने विषयक प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को सूचित किया कि –
"चूंकि वर्तमान सत्र हेतु नियत महत्वपूर्ण शासकीय कार्य पूरा हो गया है और प्रतिपक्ष (कांग्रेस) के सदस्य सदन चलाना नही चाहते हैं, सहयोग नही कर रहे हैं और सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। अत: उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि -"विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए."

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि – "डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि संसदीय कार्य समाप्त हो गया है और अन्य कार्य लंबित नहीं है अत: मैं सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करता हूँ."

19. राष्ट्रगान
'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

मध्याह्न 12.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 22 जुलाई, 2014